

नगरीय क्षेत्र में नाता जाने वाली माताओं की संतान हेतु पालनहार योजनान्तर्गत सहायता स्वीकृति बाबत जारी किये जाने वाले प्रमाण पत्र हेतु रिपोर्ट

क्रमांक :

दिनांक :

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक एफ. 15 (3) (1)/पालनहार/सान्याअवि/15/..... जयपुर, दिनांक ..... के अनुसरण में प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती ..... पिता/पत्नी श्री ..... , निवासी ..... अपने परिवार को छोड़कर कम से कम एक वर्ष पूर्व अन्य पुरुष (नाम यदि ज्ञात हो ) ..... के साथ नाता चली गई है एवं अपने पूर्व पति से उत्पन्न निम्न संतानों को त्याग दिया गया है:-

क्र.सं.	संतान का नाम	लिंग	जन्मतिथि

यह रिपोर्ट आज दिनांक ..... को जारी की जाती है।

(हस्ताक्षर)  
वार्ड मेम्बर/पार्षद

(हस्ताक्षर)  
पटवारी

(हस्ताक्षर)  
मुख्य कार्यकारी

जारीकर्ता का नाम : .....  
मोहर : .....

जारीकर्ता का नाम : .....  
मोहर : .....

अधिकारी/आयुक्त/अधिशायी अधिकारी  
जारीकर्ता का नाम : .....

नाता जाने वाली माताओं की संतान हेतु प्रमाण पत्र  
(उपरोक्त तीनों की रिपोर्ट के आधार पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा जारी किया जावेगा)

कार्यालय का नाम : .....

क्रमांक :

दिनांक :

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक एफ. 15 (3) (1)/पालनहार/सान्याअवि/15/..... जयपुर, दिनांक ..... के अनुसरण में प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती ..... पिता/पत्नी श्री ..... , निवासी ..... अपने परिवार को छोड़कर कम से कम एक वर्ष पूर्व अन्य पुरुष (नाम यदि ज्ञात हो ) ..... के साथ नाता चली गई है एवं अपने पूर्व पति से उत्पन्न निम्न संतानों को त्याग दिया गया है:-

क्र.सं.	संतान का नाम	लिंग	जन्मतिथि

यह प्रमाण पत्र की गई अनुशंसा के आधार पर आज दिनांक .....को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मोहर से जारी किया जाता है।

(हस्ताक्षर)  
उपखण्ड अधिकारी

जारीकर्ता का नाम : .....  
मोहर : .....

ग्रामीण क्षेत्र में नाता जाने वाली माताओं की संतान हेतु पालनहार योजनान्तर्गत सहायता स्वीकृति बाबत जारी किये जाने वाले प्रमाण पत्र हेतु रिपोर्ट

क्रमांक :

दिनांक :

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक एफ. 15 (3) (1)/पालनहार/सान्याअवि/15/..... जयपुर, दिनांक ..... के अनुसरण में प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती ..... पिता/पत्नी श्री ..... निवासी ..... अपने परिवार को छोड़कर कम से कम एक वर्ष पूर्व अन्य पुरुष (नाम यदि ज्ञात हो ) ..... के साथ नाता चली गई है एवं अपने पूर्व पति से उत्पन्न निम्न संतानों को त्याग दिया गया है:-

क्र.सं.	संतान का नाम	लिंग	जन्मतिथि

यह रिपोर्ट आज दिनांक ..... को जारी की जाती है।

(हस्ताक्षर)  
ग्राम सचिव

(हस्ताक्षर)  
पटवारी

जारीकर्ता का नाम : ..... जारीकर्ता का नाम : .....  
मोहर : ..... मोहर : .....

नाता जाने वाली माताओं की संतान हेतु प्रमाण पत्र  
(उपरोक्त रिपोर्ट के आधार पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा जारी किया जावेगा)

कार्यालय का नाम : .....

क्रमांक :

दिनांक :

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक एफ. 15 (3) (1)/पालनहार/सान्याअवि/15/..... जयपुर, दिनांक ..... के अनुसरण में प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती ..... पिता/पत्नी श्री ..... निवासी ..... अपने परिवार को छोड़कर कम से कम एक वर्ष पूर्व अन्य पुरुष (नाम यदि ज्ञात हो ) ..... के साथ नाता चली गई है एवं अपने पूर्व पति से उत्पन्न निम्न संतानों को त्याग दिया गया है:-

क्र.सं.	संतान का नाम	लिंग	जन्मतिथि

यह प्रमाण पत्र की गई अनुशंसा के आधार पर आज दिनांक .....को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मोहर से जारी किया जाता है।

(हस्ताक्षर)  
उपखण्ड अधिकारी

जारीकर्ता का नाम : .....  
मोहर : .....